



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3596]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2017/पौष 8, 1939

No. 3596]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2017/PAUSA 8, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2017

सं. 43/2015-2020

विषय: प्याज की निर्यात नीति— प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) रोपित करना।

का. आ. 4118(अ). — विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित, यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से प्याज के निर्यात से संबंधित दिनांक 23.11.2017 की अधिसूचना सं. 39/2015-20 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. दिनांक 23.11.2017 की अधिसूचना सं. 39/2015-20 के पैरा 2 को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

" 31.12.2017 तक " के शब्द एवं आकड़ों को संशोधित कर " 20.01.2018 तक " पढ़ा जाये।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव:

उपरोक्त यथा वर्णित सभी किस्मों की प्याज का निर्यात 20.01.2018 तक केवल साख पत्र (एलसी) के साथ प्रति मिट्रिक टन 850 अमरीकी डालर एफओबी के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अधधीन अनुमत होगा।

[फा.सं. 01/91/180/922/एम 08/पीसी-3/निर्यात प्रकोष्ठ]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)**

(Directorate General of Foreign Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2017

No. 43 /2015-2020**Subject:- Export Policy of Onions- Imposition of Minimum Export Price (MEP).**

S.O.4118(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes the following amendment, with immediate effect, in Notification No. 39/2015-20 dated 23.11.2017 relating to export of onion.

2. Para 2 of Notification No. 39/2015-20 dated 23.11.2017 is amended to read as:

The words and figures “**till 31.12.2017**” may be **amended to read as “ till 20.01.2018”**.

3. **Effect of this Notification:**

Export of all varieties of onions as described above will be allowed only on Letter of Credit (LC) subject to a Minimum Export Price (MEP) of US\$ 850 F.O.B. per Metric Ton **till 20.01.2018**.

[F. No. 01/91/180/922/AM08/PC-III/Export Cell]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade